

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अमित कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

दिनांक- 17.3.2020

विषय- श्रम संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20
कुल ₹ 9,00,00,000/- (नौ करोड़ रूपए) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

महाशय,

कार्यपालक अभियंताओं द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अध्याचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में श्रम संसाधन विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन निम्न विवरणीनुसार कुल ₹ 9,00,00,000/- (नौ करोड़ रूपए) मात्र का व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदान की जाती है :-


क्रमांक	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	भवन प्रमंडल, मोतिहारी	Construction of ITI Building at Chakia in Distt. East Champaran	2247/19.09.17	50000000.00 (पाँच करोड़ रूपये)
2.	भवन प्रमंडल, समस्तीपुर	Construction of ITI at Rosera Block Distt- Samastipur	2323/26.09.17	10000000.00 (एक करोड़ रूपये)
3.	भवन प्रमंडल, कटिहार	Construction of Women ITI College & Administrative Building, Karmshala Kanteen, Principal Qtr, Voice Principal Qtr, Staff Hostel, Campus Development at Katihar	2584/14.11.17	10000000.00 (एक करोड़ रूपये)
4.	भवन प्रमंडल, सहरसा	पूर्व में स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सहरसा के प्रशासनिक भवन, कर्मशाला भवन, स्टाफ हॉस्टल, कैटीन ब्लॉक, प्राचार्य	1479/27.06.18	20000000.00 (दो करोड़ रूपये)

	आवास, उप प्राचार्य आवास, चहारदिवारी, पहुँचपथ, स्थल विकास, फर्नीचर एवं फर्निशिंग कार्य हेतु	
कुल योग:-		90000000.00

(नौ करोड़ रूपये) मात्र।

- उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्यशीर्ष-60-अन्य भवन-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0106-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवनों का निर्माण विपत्र कोड-03-4059607890106 के विषय शीर्ष-53-मुख्य निर्माण कार्य-0106.53.01 मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2019-20 में किया जायेगा।
- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
- इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।
- प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
- स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

विश्वासभाजन,



(अमित कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 2325(भ)

दिनांक- 17.3.2020

प्रतिलिपि-सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 2325(भ)

दिनांक- 17.3.2020

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित मुख्य अभियंता/निदेशक अनुश्रवण/अभियंता प्रमुख के सचिव प्रावैधिक/संबंधित अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/बजट पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई० टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव।